



भारतीय राष्ट्रीय मानक संस्थान
NATIONAL STANDARDS BODY OF INDIA



सत्यमेव जयते
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

भारतीय मानक ब्यूरो
भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
भोक्ता विषयक मन्त्रालय, खाद्य ও पावणिक डिस्ट्रिबुशन
उपभोक्ता मामले,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS
FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

हमारा संदर्भ: केकेबीओ-11/सीएम/एल- 5500178508
Our Ref: KKBO/CM/L- 5500178508

दिनांक/Date: 16.10.2025

विषय: भारतीय मानक IS 2721:2003 के अनुसार बीआईएस प्रमाणन मुहरांकन लाइसेंस संख्या 5500178508 की स्वीकृति।

Subject: Grant of BIS Certification Marks Licence No 5500178508 as per IS 2721:2003.

मेसर्स तिरुपति फेंस प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
चूबा वीटा, पी.ओ. फुलबारी हाट, प्लॉट नंबर बी6, कैनाल रोड,
जिला: जलपाईगुड़ी- 734015
पश्चिम बंगाल, भारत

M/s TIRUPATI FENCE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
CHOOBA VITA, P.O. FULBARI HUT, PLOT NO. B6, CANAL ROAD,
DIST: JALPAIGURI- 734015
WEST BENGAL, INDIA

प्रिय महोदय/महोदया,
Dear Madams(s)/Sir,

आपके आवेदन के संदर्भ में, हमें आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि निम्नलिखित के संबंध में मानक मुहरांकन के उपयोग हेतु आप को प्रमाणन मुहरांकन लाइसेंस प्रदान किया गया है:

उत्पाद:- गैल्वेनाइज्ड स्टील चैन लिंक फेंस फैब्रिक
IS 2721:2003

ग्रेड/वर्ग/प्रकार/प्रकृति

Galvanized Steel Chain Link Fence Fabric, Type of Selvage-Both ends of the fabric knuckled, Mesh Size- 50 mm, 75 mm, 100 mm

With reference to your application, we are pleased to inform you that the Certification Marks Licence has been granted to you to use the Standard Mark in respect of the followings:

Product: - Galvanized Steel Chain Link Fence Fabric
IS 2721:2003

Grade/Class/Type/Variety

Galvanized Steel Chain Link Fence Fabric, Type of Selvage-Both ends of the fabric knuckled, Mesh Size- 50 mm, 75 mm, 100 mm

कलकाता शाखा कार्यालय
एनएसआईसी बिल्डिंग (8वें थोके ८ वें तल) प्लॉट नं १/१, १/८
ब्लॉक - सीपी, सेक्टर-V, कलकाता - 700091
फोन: (033) 2367 0013 / 0014
ईमेल: kkbo@bis.gov.in वेबसाइट: www.bis.gov.in

कोलकाता शाखा कार्यालय
एनएसआईसी बिल्डिंग (चौथी से आठवीं मंजिल) प्लॉट नंबर 7/7, 7/8,
ब्लॉक - सीपी, सेक्टर-V, सॉल्ट लेक, कोलकाता - 700091
फोन: 033-2367 0013 / 0014
ईमेल: kkbo@bis.gov.in वेबसाइट: www.bis.gov.in

KOLKATA BRANCH OFFICE
NSIC Building (4th to 8th Floor) Plot No. 7/7, 7/8,
Block - CP, Sector-V, Salt Lake, Kolkata - 700091
Phone : 033-2367 0014/2367 0013 /
Email - kkbo@bis.gov.in Website: www.bis.gov.in

1. इस लाइसेंस को प्रदान किया गया नंबर सीएम/एल- 5500178508 है, जो 22.08.2025 से ऑपरेटिव है और 21.08.2026 तक वैध है। लाइसेंस संख्या को भविष्य के पत्राचार हेतु निरपवाद रूप से संदर्भित किया जाना चाहिए।
The number assigned to this licence is CM/L- 5500178508 which has been made operative from 22.08.2025 and is valid up to 21.08.2026. The licence number should invariably be referred to in your future correspondence.

2. लाइसेंस इस स्पष्ट शर्त पर दिया जाता है कि आप लाइसेंस के दायरे में आने वाले संपूर्ण उत्पादन को मानक चिह्न से चिह्नित करेंगे और प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप बनाए रखेंगे। तदनुसार, आप मानक चिह्न के साथ लाइसेंस के दायरे में पूरे उत्पादन को कवर करेंगे और प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप बनाए रखेंगे। इसके अलावा, आपको अपने परिसर में अपने पास मौजूद बीआईएस उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा और अपने वाणिज्यिक विज्ञापनों में भी अपने पास मौजूद बीआईएस उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस का उल्लेख करना होगा।

The licence is granted on the explicit condition that you shall mark entire production under scope of licence with Standard Mark and maintain conformity to the relevant Indian Standards. Accordingly, you shall cover the entire production under scope of licence with Standard Mark and maintain conformity to the relevant Indian Standards. In addition, you shall display the BIS product certification licence held by you prominently at your premises and also mention the BIS product certification licence held by you in your commercial advertisements.

3. भारतीय मानक ब्यूरो (मूल्यांकन की अनुरूपता) विनियमन, 2018 के तहत अनुसूची 2 के स्कीम 1 के उप-नियमन (1) और (3) के पैरा 5 के अनुसार, वार्षिक लाइसेंस शुल्क 1000.00 है और बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम 2018 की स्कीम 1 के अनुबंध-1 के अनुसार मानक चिह्न के उपयोग हेतु मुहरांकन शुल्क आपके द्वारा लाइसेंस की प्रभावी तिथि 22.08.2025 से लाइसेंस की वैधता की अवधि तक के लिए अग्रिम रूप से देय है।

According to sub-regulation (1) & (3) of Paragraph 5 of scheme I of Schedule II under Bureau of Indian Standards (Conformity of Assessment) Regulation, 2018, the annual licence fee of Rs. 1000.00 and the marking fee for use of standard mark as per Annexure-I of Scheme I of BIS (Conformity assessment) Regulation 2018 is payable by you with effect from 22.08.2025 for the period of validity of the licence in advance.

4. मानक मार्क के साथ रहने या अपने उत्पाद को मुहरांकित न करने की स्थिति में बीआईएस (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियमन 2018 की स्कीम-I के अनुसूची-I में निर्धारित न्यूनतम मुहरांकन शुल्क आपके द्वारा देय है। लाइसेंस शुल्क के लिए प्राप्ति संख्या AA51PC2025000537 दिनांक 23.07.2025 है और पहले ऑपरेटिव अवधि के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क पहले ही जारी/संलग्न/अलग से भेजा जा रहा है।

Minimum marking fee stipulated in Annexure -I of scheme I of BIS (Conformity Assessment) Regulation 2018 is payable by you regardless of the whether you actually mark your product or not with the Standard Mark. **Our Receipt No. AA51PC2025000537** dated 23.07.2025 for the licence fee and the minimum marking fee for the first operative period is already *issued/enclosed/being sent separately.

5. यह अग्रिम न्यूनतम मुहरांकन शुल्क प्रत्येक वर्ष के नवीकरण के ऊपर लागू होगा। मुहरांकित उत्पादन पर इकाई दर से गणना की गई वास्तविक मुहरांकन शुल्क या न्यूनतम मुहरांकन शुल्क, जो अधिक होगा, नवीनीकरण के समय आपके द्वारा देय होगा।

This advance minimum marking fee will be carried over to the next year on every renewal. The actual marking fee calculated on the unit rate on the production marked or the minimum marking fee, whichever is higher shall be payable by you at the time of renewal.

6. इकाई दर के आधार पर चिह्नित मात्रा, गणना और अंकन शुल्क के संग्रह की रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से, शुल्क की गणना पहले नवीकरण के समय लाइसेंस के संचालन के पहले नौ महीनों के दौरान चिह्नित उत्पादन पर की जाएगी, और बारह महीनों के दौरान चिह्नित उत्पादन पर पिछले ऑपरेटिव वर्ष के अंतिम तीन महीने और वर्तमान ऑपरेटिव वर्ष के पहले नौ महीने, दूसरे और बाद के नवीकरण के समय शामिल हैं। यदि लाइसेंस समाप्त हो जाता है, तो देय मुहरांकन शुल्क की गणना के लिए समाप्ति तिथि तक चिह्नित पूरे उत्पादन को ध्यान में रखा जाएगा।

With a view to streamlining the reporting of quantity marked, calculation and collection of marking fee on the unit rate basis, fees will be calculated on the production marked during the first nine months of operation of the licence at the time of first renewal, and on the production marked during twelve months comprising the last three months of the previous operative year and the first nine months of the current operative year, at the time of the second and subsequent renewals. In case the licence expires, the entire production marked till the expiry date shall be taken into account for calculating the marking fee payable.

7. आपके द्वारा प्रस्तुत परीक्षण एवं निरीक्षण की योजना और बीआईएस द्वारा प्रस्तुत या बीआईएस द्वारा निर्दिष्ट परीक्षण और निरीक्षण योजना को आपके संस्था द्वारा कड़ाई से और पूरी तरह से लागू करना होगा। योजना के संचालन का यह पर्यवेक्षण आपके संस्था में गुणवत्ता नियंत्रण कार्य हेतु जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। कृपया हमें उस व्यक्ति का नाम और पदनाम सूचित करें, जिसे योजना के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस संबंध में भविष्य में होने वाले किसी भी परिवर्तन को आप के द्वारा हमें सूचित करना होगा जब भी ये परिवर्तन होते हैं।

The Scheme of Testing and Inspection submitted by you and agreed by BIS or the Scheme of Testing and Inspection as specified by BIS will have to be implemented by your organization strictly and completely. This supervision of the operation of the Scheme shall be done by a person responsible for the quality control function in your organization. Kindly inform us the name and designation of the person who

will be held responsible for the operation and maintenance of the Scheme. Any future change in this respect will have to be communicated by you to us as and when these take place.

8. हम मानक मार्क के मुख्य आयामों को स्पष्ट करने वाली एक शीट संलग्न कर रहे हैं ताकि आप किसी भी आकार में उपरोक्त उत्पाद का फोटोग्राफिक बदल कर चिह्नित करने के लिए मानक मार्क का डिजाइन तैयार कर सकेंगे। यह बनाए गए विभिन्न आयामों के सापेक्ष अनुपात को सुनिश्चित करेगा। जहां तक संभव हो मुख्य आयामों का उपयोग किया जाए।

We are enclosing a sheet giving the preferred dimensions of the Standard Mark to enable you to prepare the designs of the Standard Mark for marking the above product Photographic reduction in any size is permissible. This will ensure the relative proportions of the different dimensions maintained. Preferred dimensions be used as far as possible.

9. अपने उत्पाद के मुहरांकन के प्रारंभ होने पर जिसके लिए आपको लाइसेंस प्राप्त है, आप अपने लाइसेंस की वैधता के दौरान ही विभिन्न मीडिया में मानक मार्क के साथ अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं। लेटरहेड और प्रचार साहित्य पर मानक मार्क के उपयोग की अनुमति केवल आपके आश्वासन की प्राप्ति पर दी जाएगी कि आपके लाइसेंस को रद्द करने या समाप्त होने की स्थिति में आपके लेटरहेड, प्रचार साहित्य आदि पर मानक चिह्न नष्ट/काटना होगा।

On commencement of marking of your product for which you are licensed, you may advertise your product with Standard Mark in various media only during the validity of your licence. The use of Standard Mark on letterheads and publicity literature will be permitted only on receipt of your assurance that in the event of cancellation or lapsing of your licence, the Standard Mark on your letterheads, publicity literatures etc. will be destroyed/obliterated.

10. यह लाइसेंस चूबा वीटा, पी.ओ. फुलबारी हाट, प्लॉट नंबर बी6, कैनाल रोड, जिला: जलपाईगुड़ी - 734015, पश्चिम बंगाल, भारतमें स्थित आपके कारखाने के लिए प्रदान किया जाता है। लाइसेंस के तहत विशेषाधिकारों का प्रयोग किसी अन्य फर्म कंपनी/कारखाना आदि द्वारा नहीं किया जाएगा। जब तक नए परिसरों का निरीक्षण नहीं किया जाता है तब तक यह लाइसेंस लाइसेंस प्राप्त परिसरों से किसी अन्य स्थान पर विनिर्माण और परीक्षण उपकरणों को स्थानांतरित करने की स्थिति में हस्तांतरणीय नहीं है, और वहां उपलब्ध विनिर्माण और परीक्षण सुविधाओं के संबंध में हमारे द्वारा संतोषजनक पाए जाने तक मानक मार्क का उपयोग बंद कर दिया जाएगा और लाइसेंस में नए परिसरों के पते पृष्ठांकित है।

This licence is granted for your factory situated at **CHOOBA VITA, P.O. FULBARI HUT, PLOT NO. B6, CANAL ROAD, DIST: JALPAIGURI--734015, WEST BENGAL, INDIA** Privileges under the licence shall not be exercised by any other firm company/factory etc. This licence is not transferable in the event of shifting the manufacturing and testing equipment from the licensed premises to some other place, use of Standard Mark shall be stopped till the new premises are inspected and found to be satisfactory by us in respect Of Manufacturing and Testing Facilities Available There and The Address of The New Premises Is Endorsed in The Licence.

11. आपको यह भी सलाह दी जाती है कि आप खुद को और अपने संगठन के अन्य कर्मचारियों को पिछले बीआईएस अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में जागरूक करें, विशेष रूप से किसी भी जानबूझकर या अनजाने में गैर-अनुपालन के मामले में निहितार्थ।

You are also advised to make yourself and other employees in your organisation aware about the previous of the BIS Act, 2016 and Rules and Regulations framed thereunder especially the implications in case of any intentional or unintentional non-adherence.

12. यह नोट किया जाता है कि यह लाइसेंस विकल्प 2 के तहत दिया गया है जो इस शर्त के अधीन है कि यदि लाइसेंस प्रदान करने से पहले सत्यापन यात्रा के दौरान बीआईएस द्वारा 07.08.2025 को लिए गए नमूने प्रासंगिक भारतीय मानक (किसी भी आवश्यकता में) की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं, लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाएगा, और यदि एक महीने के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई के बाद नया नमूना पेश नहीं किया जाता है या नया नमूना प्रासंगिक भारतीय मानक की आवश्यकता के अनुरूप विफल रहता है, तो किसी भी आवश्यकता में, लाइसेंस होगा रद्द करने के लिए संसाधित किया जा सकता है।

It may be noted that this licence is granted under option 2 which is subject to the condition that if samples drawn on 07.08.2025 by BIS during the verification visit before grant of licence, fail to conform to the requirements of relevant Indian Standard (in any requirement), the licence shall be put under suspension, and in case fresh sample after corrective action is not offered within one month or fresh sample fails to conform to the requirement of relevant Indian Standard, in any requirement, the licence shall be processed for cancellation (Applicable for GoL under option 2).

धन्यवाद/Thanking You,

पदांकित प्राधिकारी का हस्ताक्षर/Signature of Designated authority

नाम: सब्यसाची धर

Name: Sabyasachi Dhar

पदनाम: निर्देशक और प्रमुख

Designation: Director & Head

संलग्न: यथोक्त (* जो भी लागू नहीं है वह मार्क है)

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक चिह्न के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति
Licence for the use of STANDARD MARK

लाइसेंस सं. सीएम/एल

Licence No. CM/L- 5500178508

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

मेसर्स तिरुपति फेंस प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
चूबा वीटा, पी.ओ. फुलबारी हाट, प्लॉट नंबर बी6, कैनाल रोड,
जिला: जलपाईगुरी- 734015
पश्चिम बंगाल, भारत

को (जिसे इसमें आगे 'अनुज्ञप्तिधारी' कहा गया है) इसकी प्रथम अनुसूची के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट मानक चिह्न का इस अनुसूची के तीसरे स्तंभ में दी गई किस्मों पर, उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करता है। इन उत्पादित किस्मों पर चिह्न का उपयोग उक्त अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में समय-समय पर संशोधित अथवा पुनरीक्षित/संदर्भित संबंध भारतीय मानक (मानकों) के अनुसार/अनुरूप विनिर्मित हो।

By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 2016 (11 of 2016) the BUREAU hereby grants to

M/s **TIRUPATI FENCE PRODUCTS PRIVATE LIMITED**
CHOOBA VITA, P.O. FULBARI HUT, PLOT NO. B6, CANAL ROAD,
DIST: JALPAIGURI- 734015
WEST BENGAL, INDIA

(hereinafter called the Licensee) this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the Schedule hereto, upon or in respect of the varieties set out in the third column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the second column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2. इस अनुज्ञप्ति में अनुबंद अनुज्ञप्ति की शर्तों के लिए अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी हैं। यह अनुज्ञप्ति पहली अनुसूची में यथा- उल्लिखित नाम, कारखाना के पते और अवधि के लिए विधिमान्य होगा और इसे स्कीम-1 में निर्दिष्टानुसार नवीकृत कराया जा सकता है।

2. This licence carries the obligations on the part of licensee as condition of licence which are given in Annexure attached herewith. The licence shall be valid for the name, factory address and period as mentioned in the schedule and may be renewed as specified in the scheme-1

अनुसूची
SCHEDULE
लाइसेंस सं. सीएम/एल- 5500178508
LICENSE NO. CM/L - 5500178508

नाम : तिरुपति फेंस प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
फैक्ट्री एड चूबा वीटा, पी.ओ. फुलबारी हाट, प्लॉट नंबर बी6, कैनाल रोड,
जिला: जलपाईगुड़ी- 734015
पश्चिम बंगाल, भारत 734015
विधिमान्यता : 22.08.2025 से 21.08.2026
Name: TIRUPATI FENCE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
Factory Address CHOOBA VITA, P.O. FULBARI HUT, PLOT NO. B6, CANAL ROAD,
DIST: JALPAIGURI -734015,
WEST BENGAL, INDIA
Validity: 22.08.2025 To 21.08.2026

मानक चिह्न STANDARD MARK	भारतीय मानक INDIAN STANDARD(S)	अनुज्ञप्ति का विषय क्षेत्र SCOPE OF LICENSE	चिह्नांकन शुल्क MARKING FEE
(1)	(2)	(3)	(4)
IS 2721 	IS 2721:2003 Galvanized Steel Chain Link Fence Fabric	Galvanized Steel Chain Link Fence Fabric, Type of Selvage-Both ends of the fabric knuckled, Mesh Size- 50 mm, 75 mm, 100 mm	एक वर्ष की परिचालन अवधि के दौरान सूक्ष्म पैमाने के लिए न्यूनतम अंकन शुल्क 54000.00 रुपये के साथ सभी इकाइयों के लिए 1.80 रुपये प्रति इकाई इकाई: 10 SQ.M RS. 1.80 per unit for all units with a Minimum Marking Fee of RS. 54000.00 for micro scale during an operative period of one year Unit: 10 SQ.M एक प्रचालन वर्ष के लिए न्यूनतम चिह्नांकन शुल्क अग्रिम में देय होगी जो अगले नवीकरण में अग्रणीत होगी। Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s).

आज शोला अक्टूबर दो हजार पच्चीस को हस्ताक्षरित तथा मोहरबंद किया गया
Signed, Sealed and Dated this Sixteenth October Two Thousand Twenty-Five.

कृते भारतीय मानक ब्यूरो
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS


(Sabyasachi Dhar)
Director & Head



उपाबंध
(अनुज्ञप्ति संख्या सीएम/एल - 5500178508)

अनुज्ञप्ति की शर्तें

- (1) मानक चिन्ह का डिजाइन अनुज्ञप्ति में दी गई गई प्रतिकृति के आनुपंगिक होगा।
- (2) मानक चिन्ह के फोटोग्राफिक विस्तार अथवा लघुकरण का उपयोग भी किया जा सकता है, जब तक व्यूरो द्वारा कोई अन्य विनिर्दिष्ट न दिए गए हों।
- (3) अनुज्ञप्तिधारी उस संबद्ध माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा की भारतीय मानक के अनुसार अनुरूपता के लिए उत्तरदायी होगा जिसके लिए मानक चिन्ह का उपयोग अथवा अनुप्रयोग किया गया है।
- (4) अनुज्ञप्तिधारी उस माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा के लिए मानक चिन्ह का उपयोग नहीं करेगा जो गैर-अनुरूप अथवा अनुज्ञप्ति के विषय-क्षेत्र से बाहर हैं।
- (5) जिस माल और वस्तुओं के लिए मानक चिन्ह का उपयोग किया गया है अगर वे संबद्ध मानक की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं, तो व्यूरो अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके प्रतिनिधि को ऐसे गैर-अनुरूपता वाले माल को बापिस लेने का निर्देश दे सकता है।
- (6) अनुज्ञप्ति के आन्वयन अथवा निलंबन के दौरान अथवा उसकी समाप्ति अथवा रद्द होने के पश्चात् किसी संबद्ध माल, वस्तु, प्रक्रिया, उपयोग अथवा सेवा के लिए मानक चिन्ह का उपयोग अथवा अनुप्रयोग नहीं किया जाएगा।
- (7) अनुज्ञप्तिधारी को उस अनुरूपता आकलन योजना के उपाबंधों का पालन करना होगा जिसके अंतर्गत उसे अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है, जिसमें लेवलिंग और चिन्हांकन अपेक्षाएं भी शामिल हैं।
- (8) अनुज्ञप्तिधारी व्यूरो द्वारा समय-समय पर यथा-विनिर्दिष्ट अभिलेख अनुरक्षित रखेगा।
- (9) अनुज्ञप्तिधारी अपने परिमर्गों में निरीक्षण अथवा लेखापरीक्षा करने में संबंधित सभी प्रकार की सहायता व्यूरो को उपलब्ध कराएगा और ऐसी सहायता में प्रमाणन अधिकारी द्वारा मुहरांकित और सीलबंद किए गए नमूनों को अभिहित कार्यालय या प्रयोगशाला में भेजना शामिल होगा और निरीक्षण, संपरीक्षा या मूल्यांकन की तारीख से सात दिन भीतर अभिहित कार्यालय या प्रयोगशाला को एन नमूनों को प्रेषित करना सुनिश्चित करना होगा।
- (10) अनुज्ञप्तिधारी उत्पाद और मानक चिन्ह के उपयोग अथवा अनुप्रयोग में संबंधित जानकारी जब अपेक्षा व्यूरो को प्रदान करेगा।
- (11) यदि माल अथवा वस्तुओं पर मानक चिन्ह का उपयोग अथवा अनुप्रयोग के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया हो तो अनुज्ञप्तिधारी को उन पंक्ति, वितरणों, व्यापारी अथवा फुटकर विक्रेता की सूची देनी होगी, जिनको मानक चिन्ह वाले माल अथवा वस्तुओं की आपूर्ति की गई है।
- (12) व्यूरो के अनुमोदन के बिना अनुज्ञप्ति किसी व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जाएगा।
- (13) मानक चिन्ह वाले किसी माल, वस्तुओं, प्रक्रिया, प्रणाली अथवा सेवा में संबंधित शिकायत प्रमाणित होने पर व्यूरो अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके प्रतिनिधि को मानक मुहरांकित माल और वस्तुओं की मरम्मत अथवा बदलने अथवा पुनर्निर्माण के निर्देश दे सकता है।
- (14) अनुज्ञप्तिधारी को कम से कम एक माह के नोटिस दे कर व्यूरो, अनुज्ञप्ति की किसी शर्त को संशोधन का अधिकार रखता है।

Annexure
(Licence No.CM/L- 5500178508)

Conditions of the licence

- (1) The design of Standard Mark shall be identical to the facsimile given in the licence.
- (2) The photographic enlargement or reduction of the Standard Mark may also be used, unless otherwise specified by the Bureau.
- (3) The licensee shall be responsible for the conformity of the goods, article, process, system or service to the Indian Standard in relation to which Standard Mark is used or applied.
- (4) The licensee shall not use the Standard Mark in relation to goods, articles, process, system or service which are non-conforming or outside the scope of the licence.
- (5) If goods and articles in relation to which a Standard Mark has been used do not conform to the requirements of the relevant standard, the Bureau may direct the licensee or his representative to recall such non-conforming goods.
- (6) The Standard Mark shall not be used or applied in relation to any goods, article, process, system or service during deferment or suspension, or, after expiry or cancellation of the licence.
- (7) The licensee shall comply with the provisions of the conformity assessment scheme under which licence is granted, including labelling and marking requirements.
- (8) The licensee shall maintain records as specified by the Bureau from time to time.
- (9) The licensee shall provide the Bureau all assistance in connection with carrying out inspection or audit at its premises and such assistance shall include sending samples which have been marked and sealed by the certification officer to the designated office or laboratory and ensuring that such sample is dispatched to the designated office or laboratory within seven days from the date of inspection, audit or evaluation.
- (10) The licensee shall provide information relating to production and use or applying of Standard Mark as and when it is required by the Bureau.
- (11) If the licence is granted to use or apply Standard Mark on goods or articles, the licensee shall provide the list of consignees, distributors, dealers or retailers to whom goods or articles with Standard Mark is supplied.
- (12) The licence shall not be transferred to any person without approval of the Bureau.
- (13) If a complaint regarding quality of any goods, article, process, system or service bearing Standard Mark is established, the Bureau may direct the licensee or his representative to repair or replace or reprocess the standard marked goods and articles.
- (14) The Bureau shall have the right to amend any of the conditions of licence by giving a notice of not less than one month to the licensee.

ANNEX 5

(Clause 2.6.2 & 2.9.3)

PREFERRED DESIGNS OF MONOGRAM FOR STANDARD MARK

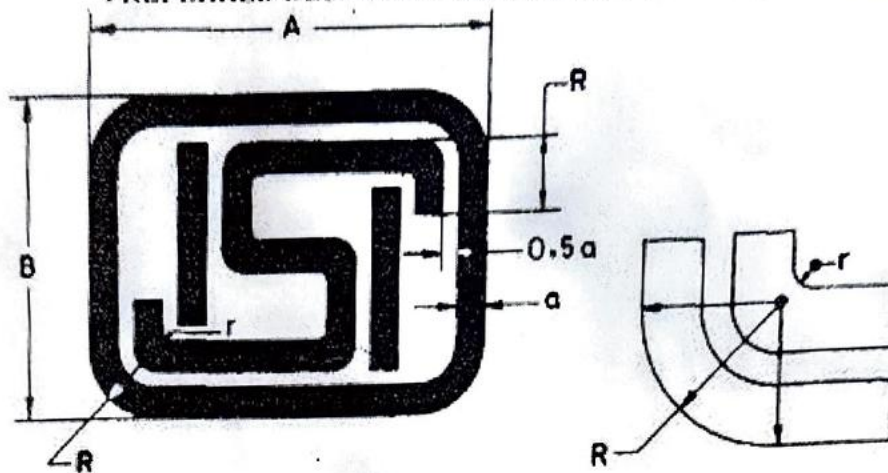


FIG. 1 MONOGRAM FOR STANDARD MARK

The monogram of the Standard Mark consists of the pictorial representation, drawn in the exact style as indicated in Fig. 1 and in relative proportions as given in Table I.

Table I Preferred Dimensions of Monogram
All dimensions in millimeters

A	B	a	R	r	SIZE OF LETTERS
2.5	1.9	0.2	0.4	-	1.0 mm
5	3.8	0.4	0.8	0.1	1.0 mm
10	7.5	0.7	1.7	0.2	2.0 mm
20	15	1.5	3.3	0.5	3.0 mm
40	30	2.9	6.7	1.0	4.0 mm
80	60	5.9	13.4	1.9	6.0 mm
160	120	11.7	26.7	3.8	10.0 mm
320	240	23.4	53.4	7.6	16.0 mm